

वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से  
डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 अप्रैल, 2018-चैत्र 30, शके 1940

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

#### अन्य सूचनाएं

#### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे 11वीं की अंकसूची में अशोक पिता श्री मोरेश्वर राव भोले है. अन्य दस्तावेज जैसे आधार कार्ड में अशोक भोले पुत्र श्री एम. एस. भोले तथा वोटर कार्ड में अशोक पुत्र श्री मोरेश्वर अंकित है. अशोक एवं अशोक भोले दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः भविष्य में मुझे अशोक भोले पुत्र श्री मोरेश्वर राव भोले के नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :

( अशोक )

पुत्र-श्री मोरेश्वर राव भोले.

नया नाम :

( अशोक भोले )

पुत्र-श्री मोरेश्वर राव भोले,

पता-एन.बी.-58, ए. बी. टाईप ऑफिसर कॉलोनी,  
सारनी, तहसील-घोड़ाडोंगरी, जिला बैतूल ( म.प्र. ).

(22-बी.)

#### नाम परिवर्तन

मैं, सतीश राठौर आत्मज श्री चन्द्र भान राठौर, आयु लगभग 26 साल, निवासी वार्ड नं. 32, सिविल लाइन, पन्ना, नाका छतरपुर का रहने वाल हूँ. यह कि मेरा नाम सतीश राठौर (साहू) है. हमारे सम्पूर्ण दस्तावेजों में सतीश साहू है, जो कि मेरा सरनेम है. अतः सतीश साहू के साथ हमारा पूरा नाम सतीश राठौर (साहू) एक ही नाम से मैं जाना व पहचाना जाता हूँ. अतः भविष्य में मुझे सतीश राठौर (साहू) के नाम से ही जाना जावें.

पुराना नाम :

( सतीश साहू )

(23-बी.)

नया नाम :

( सतीश राठौर )

### नाम परिवर्तन

मैं, विवाह पूर्व वर्षा लालवानी पुत्री श्री रमेश कुमार लालवानी के नाम से जानी व पहचानी जाती थी विवाह पश्चात् मेरा नाम परिवर्तित होकर आंशी फूलवानी पत्नी श्री भरत फूलवानी हुआ तथा अब मैं इसी नाम से जानी व पहचानी जाती हूँ।

पुराना नाम :

( वर्षा लालवानी )

(24-बी.)

नया नाम :

( आंशी फूलवानी )

निवासी-एच-4/9, ओल्ड बैरागढ़,  
भोपाल (म.प्र.).

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार का घर का नाम महेन्द्र सिंह पुत्र श्री रमेश चन्द्र शाक्य था तथा इसी नाम (महेन्द्र सिंह) से एक एल आई सी की पॉलिसी भी ले रखी है. यह कि मेरे पक्षकार के समस्त दस्तावेजों (आधार कार्ड, बैंक अकाउन्ट, शैक्षणिक दस्तावेजों आदि में) उसका नाम अजय शाक्य पुत्र श्री रमेशचन्द्र शाक्य अंकित है. उक्त दोनों नाम महेन्द्र सिंह व अजय शाक्य मुझ शपथकर्ता एक ही व्यक्ति के हैं. अतः भविष्य में मुझे मेरे समस्त सरकारी व गैर सरकारी दस्तावेजों में अजय शाक्य पुत्र श्री रमेशचन्द्र शाक्य के नाम से जाना व पहचाना जावे. सर्व-साधारण सूचित हों.

द्वारा-अभिभाषक

एस. के. राठौर (एडवोकेट),  
दुर्गा कॉलोनी हेम सिंह की परेड,  
लशकर, ग्वालियर.

(25-बी.)

### उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह पूर्व मेरा नाम कु. कंचन जेसवानी पुत्री श्री घनश्याम दास जेसवानी था. दिनांक 02-02-2007 को मेरा विवाह श्री संजू कुरुसवानी पुत्र स्व. श्री अशोक कुरुसवानी से होने के बाद मेरा नाम श्रीमती कंचन कुरुसवानी पत्नी श्री संजू कुरुसवानी हो गया है. भविष्य में अब इसी नाम से जानी पहचानी जाऊंगी.

पुराना नाम :

( कंचन जेसवानी )

(26-बी.)

नया नाम :

( कंचन कुरुसवानी )

पत्नी-श्री संजू कुरुसवानी,  
132, सिंधी कॉलोनी कम्पू,  
लशकर, ग्वालियर (म.प्र.).

### उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, विजय प्रकाश विश्वकर्मा आत्मज श्री वृन्दावन विश्वकर्मा ब्राम्हण, उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम झिगौरा, तहसील निवाड़ी, हाल तखा अनंतपुरा, टीकमगढ़ अपने इस नाम को विजय प्रकाश अंगिरा पुत्र वृन्दावन अंगिरा करना चाहता हूँ.

अतः मुझे भविष्य में विजय प्रकाश अंगिरा के नाम से जाना एवं पहचाना जावे साथ ही मेरी शैक्षणिक अंकसूचियों में और मुझसे संबंधित शासकीय, अशासकीय अभिलेखों में भी यही नाम संशोधित किया जावे.

पुराना नाम :

( विजय प्रकाश विश्वकर्मा )

(27-बी.)

नया नाम :

( विजय प्रकाश अंगिरा )

पंडित कुटी तखा अनंतपुरा,  
टीकमगढ़ (म.प्र.).

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने अपना नाम परिवर्तन कर शारदा पति रमेशचन्द्र पांजरे (Sharda W/o Rameshchandra Panjare) के स्थान पर शारदा पति लखनलाल पांजरे (Sharda Panjare W/o Lakhn Lal Panjare) कर लिया है.

अतः भविष्य में मुझे मेरे नये नाम शारदा पांजरे पति लखनलाल पांजरे (Sharda Panjare W/o Lakhanlal Panjare) के नाम से जाना व पहचाना जावेगा. सो विदित होवे.

पुराना नाम :

( शारदा )

पति रमेशचन्द्र पांजरे,  
11, बारगल कॉलोनी, पलसीकर चौराहा,  
इन्दौर (म.प्र.).

नया नाम :

( शारदा पांजरे )

पति लखनलाल पांजरे,  
108, ए-पार्श्वनाथ नगर, इन्दौर 452009 (म.प्र.).

(28-बी.)

### नाम परिवर्तन

मैं, गोकुल सोनी पिता हुकुमचन्द सोनी (GOKUL SONI S/o HUKUMCHAND SONI), निवासी वार्ड नं. 20, रुपचन्दसा जैन मार्ग रामगंज मोहल्ला, खण्डवा, जिला खण्डवा सर्व-साधारण को यह सूचित करता हूँ कि पूर्व में मेरा नाम गोकुल चन्द सोनी पिता हुकुमचन्द सोनी (GOKUL CHAND SONI S/o HUKUMCHAND SONI) था. अब मैंने मेरा नाम बदलकर गोकुल सोनी पिता हुकुमचन्द सोनी कर लिया है. अतः आज दिनांक से मेरे समस्त दस्तावेजों जहाँ भी गोकुल चन्द सोनी दर्ज है उसे गोकुल सोनी पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

( गोकुल चन्द सोनी )

(29-बी.)

नया नाम :

( गोकुल सोनी )

### उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा उपनाम जयमल सिंह जिठोल पिता जोगा सिंह जिठोल है, किन्तु मेरे पैन कार्ड में हमारा उपनाम सिख लिखा हुआ है, जो कि गलत है अतः मेरे पैन कार्ड में हमारा सही उपनाम जयमल सिंह जिठोल पिता जोगा सिंह जिठोल ही लिखा पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

( जयमल सिंह सिख )

पिता जोगा सिंह सिख.

(33-बी.)

नया नाम :

( जयमल सिंह जिठोल )

पिता जोगा सिंह जिठोल,  
कछयाना मोहल्ला, श्री गुरु हरकिशन कॉलोनी,  
अशोक नगर (म.प्र.).

### नाम परिवर्तन

मैं, (SANDEEP SARKAR S/o SUDHANSHU SARKAR AND ANJANA SARKAR) सूचित करता हूँ कि मेरी 10वीं की अंकसूची में ही मेरा नाम व उपनाम सही से लिखा हुआ है, जबकि अन्य अंकसूचियों में कहीं (SANDIP S/o SUDHANSHU & ANJANA) एवं कहीं पर (SANDEEP S/o SUDHANSHU & ANJANA) लिखा हुआ है जो कि गलत व उपनाम रहित है. अतः सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरा सही व एक समान नाम (SANDEEP SARKAR S/o SUDHANSHU SARKAR AND ANJANA SARKAR) ही लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(SANDEEP/SANDIP)

(34-बी.)

नया नाम :

(SANDEEP SARKAR)

ग्राम-बालागांव, तह. व जिला हरदा (म.प्र.).

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि शादी पूर्व मेरा नाम डॉली जोशी पिता विलास जोशी था, जिसे शादी के बाद हमने बदलकर श्रीमती अनुश्री मुले पति मंथन मुले कर लिया है, अतः अब से मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा नया नाम श्रीमती अनुश्री मुले पति मंथन मुले ही लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

( डॉली जोशी )

पिता विलास जोशी.

(35-बी.)

नया नाम :

( अनुश्री मुले )

पति मंथन मुले,  
ए-57, धनवंतरी नगर, राजेन्द्र नगर,  
इन्दौर (म.प्र.).

**CHANGE OF NAME**

I, Jay Shiv Rathi declare that in some of my documents my name's spelling written Gay Shiv Rathi. So, I want to correct it Gay Shiv Rathi to Jay Shiv Rathi. Henceforth my name's spelling would be written as Jay Shiv Rathi for all purpose.

Old Name:  
( GAY SHIV RATHI )  
(36-B.)

New Name :  
( JAY SHIV RATHI )  
202, Megnum Tower Unit-3,  
S.N.G Hospital Wali Gali,  
Kanchan Bagh, Indore (M.P.).

**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम बेबी पुत्री श्री अब्बास खान था. अब मेरा नाम भूरी पत्नि श्री अल्लाउद्दीन खान के नाम से सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय दस्तावेज जैसे पेन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक की पास बुक में मेरा नाम भूरी पत्नि श्री अल्लाउद्दीन खान के नाम से ही दर्ज है. अतः मुझे भूरी पत्नि श्री अल्लाउद्दीन खान के नाम से जाना व पहचाना जाता है. वर्तमान एवं भविष्य में मुझे भूरी नाम से जान, पहचाना एवं पुकारा जावे.

पुराना नाम :  
( बेबी )  
(39-बी.)

नया नाम :  
( भूरी )  
नर्मदा कॉलोनी, गांधी रोड,  
काली माता का मंदिर, मुरार, ग्वालियर.

**आम सूचना**

सर्वजन को सूचित किया जाता है कि मेरी फर्म में नेशनल पेट्रोल सप्लाय कम्पनी, पता बस स्टेण्ड, छतरपुर (म.प्र.) के वर्तमान भागीदार/पार्टनर नाम जसपाल सिंह सहम्बी, गुरुद्वारा के सामने, छतरपुर, परमजीत सिंह सहम्बी, महोबा रोड़, छतरपुर, गुरलीन सिंह सहम्बी, महोबा रोड़, छतरपुर, जसप्रीत सिंह सहम्बी, महोबा रोड़, छतरपुर, नविन्द्र सिंह सहम्बी, महोबा रोड़, छतरपुर, श्रीमती बलवीर कौर, महोबा रोड़, छतरपुर के सम्बन्ध में सर्वजन को सूचित किया जाता है कि समस्त वर्तमान में फर्म के भागीदार/पार्टनर की व्यक्तिगत देयता के लिए फर्म की जबाबदारी नहीं होगी. यदि किसी भागीदार/पार्टनर की व्यक्तिगत देयता या दायित्व हो तो वह व्यक्ति 15 दिवस के भीतर फर्म में नेशनल पेट्रोल सप्लाय कम्पनी, पता बस स्टेण्ड, छतरपुर (म.प्र.) को सूचित करें.

नेशनल पेट्रोल सप्लाय कम्पनी,  
जसपाल सिंह सहम्बी,  
(30-बी.)

**जाहिर सूचना**

( भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा-72 के अधीन )

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि शीतलनाथ कोलोनिजेस, जिसका कार्यालय R-48, तृतीय तल, जोन-2, एम. पी. नगर, भोपाल (म.प्र.) है, जिसका फर्म र. नं. 01/01/01/00182/12, में से भागीदार (1) M/s ABSS ग्रुप पार्टनर द्वारा श्री आशीष राठौर आत्मज श्री पन्ना लाल राठौर एवं (2) श्री अविचल जैन आत्मज श्री रविन्द्र जैन, फर्म की भागीदारी से दिनांक 18-12-2017 को पृथक् हो गए हैं.

संभव सोगानी,  
(अधिवक्ता).  
(31-बी.)

**आम सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स जय सिद्ध बाबा स्टोन क्रेशर, पता-1, ग्राम बामौर बदरवास, जिला शिवपुरी है. जिसका पंजीयन क्र. 02/41/08/0023/15 एवं दिनांक 23-04-2015 है जिसमें भागीदार के रूप में दिनांक 01-04-2018 को भागीदार (1) नरेन्द्र सिंह राजपूत पुत्र श्री धनीराम राजपूत, निवासी महावीर कॉलोनी, गली नं. 3 ग्वालियर, (2) रविन्द्र सिंह यादव पुत्र स्व. श्री ज्ञान सिंह यादव,

निवासी जगनापुरा नं. 2, ग्वालियर, (3) पवन कुमार धाकड़ पुत्र श्री फेरन सिंह धाकड़, निवासी ग्राम मोहरा, तहसील कोलारस, जिला शिवपुरी स्वेच्छा से पृथक् हो रहे हैं एवं दिनांक 01-04-2018 को मनीष यादव पुत्र स्व. श्री भुंजबल सिंह यादव, निवासी भुजबल भवन नवग्रह गोल पहाड़िया, ग्वालियर एवं पवन कुमार जैन पुत्र श्री सुरेश चंद्र जैन, निवासी छत्री रोड, चौकसे की धर्मशाला के पास शिवपुरी भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

मैसर्स जय सिद्ध बाबा स्टोन क्रेशर,

**सुनील वर्मा,**

(भागीदार).

1, ग्राम बामौर बदरवास, जिला शिवपुरी.

(32-बी.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी भागीदारी फर्म मैसर्स प्रीमियम कॉडिंग सॉल्यूशन्स, पता-यूजी 02, क्लासिक डायमण्ड, डब्ल्यूबी 94, स्कीम नं. 94, विजय नगर, इन्दौर मध्यप्रदेश जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/01/0314/18, दिनांक 29 मार्च, 2018 से एक भागीदारी फर्म है. जिसका संचालन हम तीनों भागीदार 1. अभिषेक मधुकर, 2. रत्नेश कुमार सिन्हा, 3. मनीष कुमार मिलकर, दिनांक 28 जुलाई, 2017 से कर रहे थे, उसमें से दिनांक 05 अक्टूबर, 2017 को मनीष कुमार जी फर्म से अलग हो गये थे, अब उनका इस फर्म से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है. अब दिनांक 10 जनवरी, 2018 को अभिषेक मधुकर जी भी सेवानिवृत्त हो कर अपने स्थान पर पूजा मधुकर जी को नये भागीदार के रूप में फर्म सम्मिलित कर रहे हैं. अब इस भागीदारी फर्म का संचालन रत्नेश कुमार सिन्हा एवं पूजा मधुकर जी कर रहे हैं.

मे. प्रीमियम कॉडिंग सॉल्यूशन्स,

**1. रत्नेश कुमार सिन्हा,**

**2. पूजा मधुकर,**

(भागीदार).

(37-बी.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स वसुंधरा बिल्डकॉन स्थित 214, पटेल नगर, सिटी सेन्टर, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/00162/14, दिनांक 21-01-2014 है. जिसमें दिनांक 03-04-2018 को भागीदार श्री विजय गुप्ता पुत्र स्व. श्री प्रेम प्रकाश गुप्ता अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक 03-04-2018 को भागीदार श्री मोहित गुप्ता पुत्र श्री विनोद गुप्ता, निवासी सी-17, गांधी नगर, नियर खेड़ापति कॉलोनी, ग्वालियर नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

फर्म-मैसर्स वसुंधरा बिल्डकॉन,

**धर्मेंश बुकोलिया,**

(भागीदार).

(38-बी.)

### जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मैसर्स श्वेत लाभ माईन्स, फर्म का पता-डी-4, जयसूर्य मोहन नगर, संजय नगर के पास, बुरहानपुर मध्यप्रदेश-450331 अपनी साझेदारी में दिनांक 20-12-2017 को उक्त साझेदारी फर्म में 1. श्री हर्षवर्धनसिंह चौहान पिता श्री नंदकुमारसिंह चौहान ने फर्म में प्रवेश किया है. यह सूचनार्थ है कि उक्त दिनांक से फर्म में केवल 1. श्री हर्षवर्धनसिंह चौहान पिता श्री नंदकुमारसिंह चौहान, 2. श्री नितिन कुमार दुबे पिता श्री प्रकाश नारायण दुबे, 3. श्री राहुलसिंह हजारी पिता श्री राजेन्द्रसिंह हजारी, 4. श्री संकेतसिंह चौहान पिता श्री संजयसिंह चौहान उक्त साझेदारी फर्म में भागीदारी है. अतदर्थ सूचनार्थ प्रकाशित.

मे. श्वेत लाभ माईन्स,

**नितिन कुमार दुबे,**

(पार्टनर).

डी-4, जयसूर्य मोहन नगर,  
संजय नगर के पास, बुरहानपुर.

(15-बी.)

## विविध

### आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं

कार्यालय कलेक्टर, जिला इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 मार्च, 2018

क्र./360/व.लि./2018.—मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-19-196/2003/एक/4, दिनांक 28 जून, 2004 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 01 फरवरी, 2018 में लिये गये निर्णय के फलस्वरूप एम.आर.-3 मार्ग, इन्दौर का नामकरण “स्व. श्री भेरूलाल पाटीदार मार्ग” के नाम पर किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(479)

इन्दौर, दिनांक 28 मार्च, 2018

क्र./362/व.लि./2018.—मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-19-196/2003/एक/4, दिनांक 28 जून, 2004 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 01 फरवरी, 2018 में लिये गये निर्णय के फलस्वरूप टाटा वायर चौराहा, इन्दौर का नामकरण “आदि शंकराचार्य चौराहा, इन्दौर ” के नाम पर किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(480)

निशांत वरवडे,

कलेक्टर.

## निविदा सूचनाएं

भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल, 2018

### निविदा सूचना

क्र. जी. बी. चार/पेपर(1)2018-19/932.—ऑनलाईन बिडिंग <https://www.mpeproc.gov.in> पर ई-टेण्डर से तकनीकी एवं कॉमर्शियल निविदा दिनांक 01 मई, 2018 अपरान्ह 2.00 बजे तक की-डेट्स भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रिंटिंग पेपर क्रय हेतु निर्माता मिल/अधिकृत डीलर/अधिकृत एजेंट से आमंत्रित की जाती हैं।

2. टेण्डर फार्म, शर्तें एवं निविदा के अनुबंध का प्रारूप वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) पर भी रखा गया है।

3. समस्त पूर्तियों के उपरांत ई-निविदा की हार्डकॉपी एवं नमूने सूची सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में की-डेट्स अनुसार जमा कराना होगा। ऑनलाईन निविदा एवं हार्डकॉपी दिनांक 01 मई, 2018 अपरान्ह 4.00 बजे की-डेट अनुसार अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में स्वेच्छा से उपस्थित निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएंगी।

4. सूचना/संशोधन/सुधार की स्थिति में जानकारी केवल वेबसाइट <https://www.mpeproc.gov.in> पर उपलब्ध रहेगी।

(477)

Bhopal, Dated 10<sup>th</sup> April, 2018

### TENDER NOTICE

No. GB-IV-Paper(1)2018-19/932.—*Online Bidding go through IT Department Portal <https://mpeproc.gov.in> and Sealed Technical & Commercial E-Tenders are invited on or before 2.00 PM on 01-05-2018 as per Key-Dates for the Purchase of various types of Printing Papers from manufacturing mills or their authorized dealers can participate.*

2. Tender Document and agreement details of tender are available at website [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)

3. In all respects Hard Copy of the E-Tender document and sample of the items with list (sealed) must be received at the Office of the undersigned as per key dates. Envelope 'A' Hard Copy of Technical Tender will be opened ONLINE on or before 4.00 PM on 01-05-2018 and as per key dates in the Office of the undersigned in the presence of such tenderers or their authorised representatives as may be present.

4. All corrigendum/amendments/changes; if any will only be issued and made available only on <https://mpeproc.gov.in>.

**RAJESH KOUL,**  
Controller,  
Govt. Printing and Stationery,  
Madhya Pradesh, Bhopal.

(477-A)

## न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास, नीमच, जिला नीमच

प्रारूप-चार

नीमच, दिनांक 1 मार्च, 2018

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 उपधारा-2 और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिए]

पंजीयक, लोक न्यास, नीमच मध्यप्रदेश.

चूंकि श्री सुनील कुमार पिता शांतिलाल बंब, निवासी नीमच द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया गया है.

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 31 मार्च, 2018 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस विज्ञापित के द्वारा सूचना दी जाती है.

अतः मैं, आदित्य शर्मा, पंजीयक, लोक न्यास, नीमच मध्यप्रदेश का लोक न्यासों का पंजीयन अपने न्यायालय में दिनांक 31 मार्च, 2018 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के अंदर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और न्यायालय के समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

### अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम व पता	:	“जैन दिवाकर पारमार्थिक ट्रस्ट”
न्यास कार्यालय का पता	:	दिवाकर भवन, गांधी वाटिका के सामने स्कीम नंबर-1, नीमच.
लोक न्यास की सम्पत्ति का विवरण :-		
अचल सम्पत्ति	:	निरंक
चल सम्पत्ति	:	रु. 21,000/. (अक्षरी रुपये इक्कीस हजार मात्र)

आदित्य शर्मा,  
पंजीयक.

(481)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट (शहर), रतलाम

क्र.06/बी-113(1)2017-18.

रतलाम, दिनांक 24 मार्च, 2018

फार्म-4

[नियम 5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-4 (2) के तहत]

क्र.06/आर-3/18.— आवेदक सुनील शर्मा पिता स्व. प्यारेलाल शर्मा, गुरुजी, निवासी 101, देवाश्रय सेंव वालों की गली मालीकुआं, रतलाम के द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अंतर्गत “प्यारेलाल गुरुजी चैरीटेबल ट्रस्ट रतलाम” के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

2. अतएव जिस किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट या उसकी सम्पत्ति के प्रति रुचि हो, प्रकरण में नियत दिनांक 23 अप्रैल, 2018 को इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की प्रतियां प्रस्तुत करें और स्वयं या अपने अधिवक्ता अथवा एजेंट के द्वारा प्रातः 11 बजे नियत दिनांक को उपस्थित हों। निर्धारित समय समाप्त होने पर प्रस्तुत आवेदन-पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

### अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

न्यास का नाम व पता	:	“प्यारेलाल शर्मा गुरुजी, चैरीटेबल ट्रस्ट” पता-101, देवाश्रय सेव वालों की गली मालीकुआं, रतलाम मध्यप्रदेश ” रहेगा।
अचल सम्पत्ति	:	निल.
चल सम्पत्ति	:	रु. 11,000/-

अनिल भाना,  
रजिस्ट्रार.

(482)

### न्यायालय पंजीयक, सार्वजनिक लोक न्यास, नेपानगर

प्र.क्र.01/बी/113/2017-18.

#### प्रारूप-तृतीय

[नियम 5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-04 के अन्तर्गत]

एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यासों के पंजीयक नेपानगर, जिला बुरहानपुर के समक्ष यह कि अध्यक्ष सुरेश कुमार पिता स्व. मथुराप्रसाद शिवहरे, निवासी ग्राम डोईफोड़िया, तहसील खकनार, जिला बुरहानपुर ने “श्री शनि मन्दिर बहुउद्देश्यीय गौसेवा संस्थान ट्रस्ट डोईफोड़िया” का लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये “लोक न्यास” के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है। एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन दिनांक 07-12-2017 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा।

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये। उपरोक्त अर्वाधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा।

### अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता सम्पत्ति का विवरण)

1. न्यास का नाम	:	“श्री शनि मन्दिर बहुउद्देश्यीय गौसेवा संस्थान ट्रस्ट डोईफोड़िया”
2. चल सम्पत्ति	:	23,420/- जो जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., डोईफोड़िया में बचत खाता क्रमांक 159004178799 में जमा है।
3. अचल सम्पत्ति	:	ग्राम डोईफोड़िया कृषि भूमि ख. नं. 254/1, रकबा 2.64 हैक्टर में से पश्चिम दिशा का रकबा 5600 वर्गफीट जो बाबू पिता राजाराम द्वारा स्वेच्छा से दान में दी है।

जारी दिनांक 07 नवम्बर, 2017

के. आर. बड़ोले,  
पंजीयक.

(501)

### न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, लोक न्यास, बडवाहा

प्र.क्र.01/बी-113(1)/2017-18

#### फार्म-4

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951, (क्रमांक 30-1951) की धारा-5(2) एवं  
मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रूल्स, 1952 के नियम-5 (1) के अंतर्गत]

समक्ष पंजीयक, लोक न्यास, बडवाहा

चूँकि प्रार्थी संत श्री ब्रजराजसिंह पिता ठा. रामसिंह पंवार, निवासी राम मंदिर के पास बैडिया, तहसील सनावद एवं अन्य की ओर



से “श्री बा साहेब गुलाब कुँवर स्मृति ट्रस्ट” ग्राम बैडिया, तहसील सनावद, जिला खरगौन में ट्रस्ट पंजीयन हेतु पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (क्रमांक 30-1951) की धारा-4 के अन्तर्गत निम्न अनुसूची में दर्शित चल/अचल सम्पत्ति हेतु आवेदन-पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र पर इस न्यायालय में विचार किया जावेगा। कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सलाह प्रस्तुत करना चाहता हो, वह इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अन्दर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करे तथा उपस्थित रहे। निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

क्र.	नाम वस्तु	विवरण	वजन तथा नग	राशि
1	2	3	4	5
1.	नगद	..	..	5,00,000.00
2.	अचल सम्पत्ति	..	..	..


(503) **एस. पी. सिंग,**  
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

### अन्य सूचनाएं

#### कार्यालय, वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण बैतूल सामान्य वनमंडल

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नानुसार आकृति का हेमर कार्यालयीन आदेश क्र./मा.चि./02, दिनांक 23 जनवरी, 2018 से अपलेखित किया गया है। यदि किसी व्यक्ति को निम्नांकित हेमर मिले तो उस हेमर को निकटतम पुलिस थाने या वन विभाग के कार्यालय में जमा करें। इस विज्ञप्ति अनुसार यदि किसी व्यक्ति द्वारा निम्नांकित आकृति के हेमर को अनाधिकृत रूप से रखने या प्रयोग में लाते हुये पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार दण्डित कार्यवाही की जावेगी तथा भारतीय वन अधिनियम की धारा-63 के प्रावधानों के अन्तर्गत दण्ड का भागी होगा।

फेलिंग हेमर का चिन्ह:-



(502)

**संजीव झा,**  
वनमण्डलाधिकारी.

#### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 21 मार्च, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/850.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 3562, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 द्वारा महाकाली बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हासलपुर झिरन्या जिसका पंजीयन क्रमांक 2135, दिनांक 04 अगस्त, 2015 को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री बी. एल. बागोरा, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 21 मार्च, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(483)

उज्जैन, दिनांक 21 मार्च, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/851.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2027, दिनांक 24 अगस्त, 2016 द्वारा महावीर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अनन्त खेड़ी जिसका पंजीयन क्रमांक 2042, दिनांक 28 जनवरी, 2015 को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री संतोष सांकलिया, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 मार्च, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(484)

उज्जैन, दिनांक 21 मार्च, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/852.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 740, दिनांक 08 मार्च, 2016 द्वारा माँ अन्नपूर्णा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बोरदामाण्डा जिसका पंजीयन क्रमांक 2042, दिनांक 28 जनवरी, 2015 को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री संतोष सांकलिया, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 मार्च, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(485)

उज्जैन, दिनांक 21 मार्च, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/853.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 477, दिनांक 27 फरवरी, 2013 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बाँसखेड़ी जिसका पंजीयन क्रमांक 615, दिनांक 22 जून, 1982 को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. के. मालवीय, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 मार्च, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(486)

ओ. पी. गुप्ता,  
उप पंजीयक.

**कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा**

आगर-मालवा, दिनांक 03 अप्रैल, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/514.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/1170, दिनांक 11 जुलाई, 2016 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., निपानिया हनुमान, जिला आगर-मालवा (पंजीयन क्रमांक/डीआर/आगर/47, दिनांक 23 फरवरी, 2015) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था।

परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार उक्त संस्था के सदस्यों की बैठक दिनांक 23 जनवरी, 2018 में संस्था को अधिनियम अनुसार संचालित करने का निर्णय पारित किया जाकर एक अवसर प्रदान किये जाने का संकल्प पारित किया गया है। संस्था के सुचारू कार्य संचालन हेतु निर्वाचन होने तक नामांकित प्रबंध समिति का गठन भी किया गया है। प्रभारी प्रबंधक दुग्ध शीत केन्द्र, आगर द्वारा संस्था को पुनर्जीवित किये जाने की अनुशंसा की गई है।

अतः संस्था सदस्यों द्वारा पारित निर्णय दुग्ध शीत केन्द्र, आगर की अनुशंसा एवं परिसमापक के प्रतिवेदन के आधार पर मैं, श्वेता रावत, प्रभारी उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) तथा 70 (1) के अंतर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., निपानिया हनुमान, जिला आगर-मालवा (पंजीयन क्रमांक/डीआर/आगर/47, दिनांक 23 फरवरी, 2015) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत परिसमापन से मुक्त करते हुये पुनर्जीवित करती हूँ तथा संस्था के सुचारू कार्य संचालन हेतु तीन माह के लिये निम्नानुसार नामांकित प्रबंधकारिणी कमेटी का गठन करती हूँ:-

क्रमांक	नाम पदाधिकारी	पद
1.	श्रीमतीमती लाबुबाई पत्नि श्रीमती नाराणसिंह	अध्यक्ष
2.	श्रीमति अनोकाबाई पत्नि श्री तोफान	उपाध्यक्ष
3.	श्रीमति सोरमबाई पत्नि श्री शिवलाल	संचालक
4.	श्रीमति संतोषबाई पत्नि श्री शम्भुसिंह	संचालक
5.	श्रीमति जतनबाई पत्नि श्री शिवलाल	संचालक
6.	श्रीमति कैलाशबाई पत्नि श्री भंवरलाल	संचालक
7.	श्रीमति लीलाबाई पत्नि श्री हिरालाल	संचालक
8.	श्रीमति प्रभुबाई पत्नि श्री कैलाश	संचालक
9.	श्रीमति थानाबाई पत्नि श्री उंकारलाल	संचालक

यह आदेश आज दिनांक 03 अप्रैल, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(487)

श्वेता रावत,  
प्र. उप पंजीयक.

**कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास**

देवास, दिनांक 28 मार्च, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69(4) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2018/1060.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2)(सी/ग) के अंतर्गत महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरदू पंजीयन क्रमांक 1135, दिनांक 15 मई, 2006 को आदेश क्रमांक 2003, दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 से परिसमापन में लाया जाकर श्री मनीष चौधरी, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

संस्था के सदस्यों के आवेदन प्राप्ति के पश्चात् परिसमापक द्वारा संस्था की आमसभा बुलाई गयी एवं सभा में उपस्थित सदस्यों के सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किये जाने पर कि संस्था की आर्थिक उन्नति के लिये पुनर्जीवित किया जाये. यह भी प्रस्ताव पारित किया है कि संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गयी थी. वह उद्देश्य अभी पूर्ण नहीं हुए हैं. आमसभा के परिप्रेक्ष्य में परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित किये जाने का आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है.

परिसमापक के आवेदन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के सदस्यों के हित में संस्था का अस्तित्व में बने रहना आवश्यक है. उक्त के प्रकाश में यह प्रतीत होता है कि संस्था को पुनर्जीवित किया जावे.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69(4) के अन्तर्गत महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरदू का परिसमापन आदेश निरस्त करता हूँ एवं संस्था के कार्य संचालन के लिये श्री मनीष चौधरी, सहकारी निरीक्षक को संस्था का प्रशासक नियुक्त करता हूँ एवं उन्हें निर्देशित किया जाता है कि तीन माह में संस्था का लंबित अंकेक्षण पूर्ण करायें एवं संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन संपन्न कराने के लिये आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(488)

देवास, दिनांक 28 मार्च, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69(4) के अन्तर्गत]

क्र.परि./2018/1061.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2)(सी/ग) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., प्रतापगढ़ पंजीयन क्रमांक 1413, दिनांक 11 मार्च, 2014 को आदेश क्रमांक 847, दिनांक 30 अप्रैल, 2016 से परिसमापन में लाया जाकर श्री संजय देवलालीकर, उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के सदस्यों के आवेदन प्राप्ति के पश्चात् परिसमापक द्वारा संस्था की आमसभा बुलाई गयी एवं सभा में उपस्थित सदस्यों के सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किये जाने पर कि संस्था की आर्थिक उन्नति के लिये पुनर्जीवित किया जाये. यह भी प्रस्ताव पारित किया है कि संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गयी थी. वह उद्देश्य अभी पूर्ण नहीं हुए हैं. आमसभा के परिप्रेक्ष्य में परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित किये जाने का आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है.

परिसमापक के आवेदन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के सदस्यों के हित में संस्था का अस्तित्व में बने रहना आवश्यक है. उक्त के प्रकाश में यह प्रतीत होता है कि संस्था को पुनर्जीवित किया जावे.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69(4) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., प्रतापगढ़ का परिसमापन आदेश निरस्त करता हूँ एवं संस्था के कार्य संचालन के लिये श्री संजय देवलालीकर, उप अंकेक्षक को संस्था का प्रशासक नियुक्त करता हूँ एवं उन्हें निर्देशित किया जाता है कि तीन माह में संस्था का लंबित अंकेक्षण पूर्ण करायें एवं संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन संपन्न कराने के लिये आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(489)

देवास, दिनांक 28 मार्च, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69(4) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2018/1059.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2)(सी/ग) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरदू पंजीयन क्रमांक 671, दिनांक 25 अगस्त, 1989 को आदेश क्रमांक 1441, दिनांक 09 अगस्त, 2017 से परिसमापन में लाया जाकर श्रीमती तरुणा ठाकुर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के सदस्यों के आवेदन प्राप्ति के पश्चात् परिसमापक द्वारा संस्था की आमसभा बुलाई गयी एवं सभा में उपस्थित सदस्यों के सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किये जाने पर कि संस्था की आर्थिक उन्नति के लिये पुनर्जीवित किया जाये. यह भी प्रस्ताव पारित किया है कि संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गयी थी. वह उद्देश्य अभी पूर्ण नहीं हुए हैं. आमसभा के परिप्रेक्ष्य में परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित किये जाने का आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है.

परिसमापक के आवेदन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के सदस्यों के हित में संस्था का अस्तित्व में बने रहना आवश्यक है। उक्त के प्रकाश में यह प्रतीत होता है कि संस्था को पुनर्जीवित किया जावे।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरदू का परिसमापन आदेश निरस्त करता हूँ एवं संस्था के कार्य संचालन के लिये श्रीमती तरुणा ठाकुर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का प्रशासक नियुक्त करता हूँ एवं उन्हें निर्देशित किया जाता है कि तीन माह में संस्था का लंबित अंकेक्षण पूर्ण करायें एवं संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन संपन्न कराने के लिये आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(490)

देवास दिनांक 23 मार्च, 2018

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधक/प्रशासक

एस.कुमार सिनफेब्स कर्मचारी साख

सहकारी संस्था मर्या., देवास.

क्र./परि./2018/982.—एस.कुमार सिनफेब्स कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित, देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 839, दिनांक 29 फरवरी, 1997 है। वर्तमान में संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने से संस्था के संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने के कारण कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2375, दिनांक 30 नवम्बर, 2017 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा-49(7) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त किया गया है परन्तु यह पाया गया है कि आज दिनांक तक संस्था द्वारा प्रशासक को न ही संस्था का चार्ज एवं रिकार्ड सौंपा गया है कि और न ही निर्वाचन कराये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप में संस्था के सदस्यों की सूची उपलब्ध कराई गई है। प्रशासक द्वारा अपने आवेदन में संस्था के अध्यक्ष का पत्र संलग्न किया है। जिसमें संस्था सदस्य संस्था को चलाने में किसी प्रकार की रुचि नहीं लेना बताया है एवं संस्था द्वारा अपनी उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति की जा चुकी है जिसके परिणाम स्वरूप मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) एवं 69(2)(ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) एवं 69(2)(ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाये, इस संबंध में यदि कुछ कहना हो तो या प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हो तो दिनांक 10 अप्रैल, 2018 कार्यालयीन समय में मय रिकार्ड के साथ स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा की आपको कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में कुछ नहीं कहना है। संस्था को परिसमापन में लाने की विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 मार्च, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(475)

देवास दिनांक 23 मार्च, 2018

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा-69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधक/प्रशासक

नागरिक प्राथमिक उपभोक्ता

भंडार मर्या., देवास.

क्र./परि./2018/983.—नागरिक प्राथमिक उपभोक्ता भंडार मर्यादित, देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 80, दिनांक 20 अप्रैल, 1962 है। वर्तमान में संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने से संस्था के संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने के कारण कार्यालयीन आदेश क्रमांक 378, दिनांक 28 फरवरी, 2017 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा-49(7) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त किया गया है, परन्तु यह पाया गया है कि आज दिनांक तक संस्था द्वारा प्रशासक को न ही संस्था का चार्ज एवं रिकार्ड सौंपा गया है कि और न ही निर्वाचन कराये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप में संस्था के सदस्यों की सूची उपलब्ध कराई गई है। प्रशासक द्वारा अपने आवेदन में संस्था के अध्यक्ष का पत्र संलग्न

किया है जिसमें संस्था सदस्य संस्था को चलाने में किसी प्रकार की रुचि नहीं लेना बताया है एवं संस्था द्वारा अपनी उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति की जा चुकी है जिसके परिणाम स्वरूप मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(क) एवं 69(2)(ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा-69(2)(क) एवं 69(2)(ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाये इस संबंध में यदि कुछ कहना हो तो या प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हो तो दिनांक 10 अप्रैल, 2018 कार्यालयीन समय में मय रिकार्ड के साथ स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा की आपको कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में कुछ नहीं कहना है। संस्था को परिसमापन में लाने की विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 मार्च, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

**मनोज जायसवाल,**  
उप-पंजीयक.

(476)

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी

शिवपुरी दिनांक 24 मार्च, 2018

क्र./परि./2018/595.—निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सासोयटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुये धारा-70(1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारियों को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:-

क्र.	परि. समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक की नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	सम्पूर्ण प्रिंटर्स एवं स्टेशनरी सप्लायर सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी.	525/02-03-2006	1738/16-07-2015	श्री मुकेश सक्सेना, सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशांसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, के. के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 24 मार्च, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया।

**के. के. द्विवेदी,**  
उप-पंजीयक.

(504)



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 अप्रैल, 2018-चैत्र 30, शके 1940

### भाग 3 ( 2 )

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

#### कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 1 नवम्बर, 2017

- 1. मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में प्रायः आकाश शुष्क रहा तथा राज्य के किसी भी जिले में वर्षा का होना प्रतिवेदित नहीं किया गया है।
- 2. जुताई.**— जिला ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, सतना, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, मंदसौर, नीमच, उज्जैन, शाजापुर, झाबुआ, धार, भोपाल, सीहोर, जबलपुर, नरसिंहपुर, मण्डला, डिण्डोरी, छिन्दवाड़ा, सिवनी में जुताई कार्य कहीं-कहीं चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है।
- 3. बोनी.**— जिला मुरैना में सरसों, अनूपपुर में अलसी जिला धार व आगर में गेहूँ, चना, जिला में सतना में चना, मसूर, अलसी राई सरसों, जिला डिण्डोरी में गेहूँ चना, अलसी, मटर, मसूर तथा जिला ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, पन्ना, सागर, दमोह, शहडोल, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर, इन्दौर, जबलपुर, बड़वानी, सीहोर, नरसिंहपुर में रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है।
- 4. फसल स्थिति.**— जिला सागर में अल्प वर्षा से खरीफ फसलों में 50 प्रतिशत तक तथा जिला शहडोल में तहसील ब्योहारी, जयसिंहनगर में धान, कोदों-कुटकी, तिल आदि पर अल्प वर्षा से 40 प्रतिशत तक जिला सीधी में अल्प वर्षा से 33 प्रतिशत तक तथा जिला अलीराजपुर की तहसील जोवट, चन्द्रशेखर आजाद नगर व कटटीवाड़ा में उडद पर ऐलोमेजिक रोग से आंशिक क्षति होना प्रतिवेदित किया गया है।
- 5. कटाई.**— जिला होशंगाबाद व बालाघाट में धान, अनूपपुर में सोयाबीन व धान, बैतूल में सोयाबीन, मूंगफली, धान व मक्का की कटाई एवं बुरहानपुर में कपास की चुनाई तथा जिला दमोह, आगर, खरगौन, सिवनी में खरीफ फसलों की कटाई कार्य कहीं-कहीं चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है।
- 6. सिंचाई.**— जिला मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, सतना, रीवा, शहडोल, उमरिया, सिंगरौली, मंदसौर, नीमच, शाजापुर, झाबुआ, बड़वानी, भोपाल, सीहोर, बैतूल, होशंगाबाद, हरदा व जबलपुर में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त तथा राज्य के शेष जिलों में सिंचाई हेतु पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है।
- 7. पशुओं की स्थिति.**— राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषजनक रहना प्रतिवेदित किया गया है।
- 8. चारा.**— राज्य के जिला शिवपुरी को छोड़कर शेष सभी जिलों में पशुओं के लिये चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।
- 9. बीज.**— राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।
- 10. खेतिहर श्रमिक.**— राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 1 नवम्बर, 2017

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि.मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1. जिला मुरैना :</b>	मिलीमीटर	2. सरसों की बोनी चालू है.	3. . . 4. (1) बाजरा, तुअर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान है.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. कैलारस 6. सबलगढ़	. . . . . . . . . . . .				
<b>2. जिला श्योपुर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, तुअर, सोयाबीन, उड़द, मूँग, ग्वार, कपास, समान. (2) धान, गन्ना, ज्वार, तुअर, ग्वार, कपास सुधरी हुई. शेष फसलें बिगड़ी हुई हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर 2. कराहल 3. विजयपुर 4. वीरपुर 5. बडोदा	. . . . . . . . . .				
<b>3. जिला भिण्ड :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेहगांव 5. लहार 6. गोरमी 7. रौन/मिहोना 8. मौ	. . . . . . . . . . . . . . . .				
<b>4. जिला ग्वालियर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू. बोनी कार्य चालू.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर 2. डबरा 3. भितरवार 4. चिनोर 5. घाटीगांव	. . . . . . . . . .				
<b>5. जिला दतिया :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है. बोनी कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) गन्ना अधिक. (2) गन्ना समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा 2. दतिया 3. इन्दरगढ़ 4. बढौनी 5. भाण्डेर	. . . . . . . . . .				



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>6. जिला शिवपुरी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है. बोनी चालू है.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .				
2. पिछोर	. .				
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बैराढ़	. .				
9. बदरवास	. .				
<b>7. जिला अशोकनगर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) उड़द, मक्का अधिक. सोयाबीन, गन्ना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान है.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मुँगावली	. .				
2. ईसागढ़	. .				
3. अशोकनगर	. .				
4. चन्देरी	. .				
5. नई सराय	. .				
6. पिपरई	. .				
7. शाढौरा	. .				
<b>8. जिला गुना :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी चालू	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गुना	. .				
2. राघोगढ़	. .				
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. मकसूदनगढ़	. .				
7. कुम्भराज	. .				
<b>9. जिला टीकमगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. रबी फसल हेतु जुताई चालू.	3. . . 4. (1) ज्वार, अरहर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .				
2. पृथ्वीपुर	. .				
3. जतारा	. .				
4. टीकमगढ़	. .				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
7. खरगापुर	. .				
8. मोहनगढ़	. .				
9. लिधौरा	. .				
10. ओरछा	. .				
<b>10. जिला छतरपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है.	3. . . 4. (1) धान, तिल अधिक. तुअर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लोण्डी	. .				
2. गौरीहार	. .				
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
7. बड़ामल्हरा	. .				
8. महाराजपुर	. .				
9. चंदला	. .				
10. धुवारा	. .				
11. लवकुश नगर	. .				
12. बक्सवाहा	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>11. जिला पन्ना :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अजयगढ़	..		4. (1) धान, ज्वार, बाजार, मक्का, तुअर, उड़द, मूंग, सोयाबीन, तिल.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	..		(2) ..		
3. गुन्नौर	..				
4. पवई	..				
5. रेपुरा	..				
6. अमानगंज	..				
7. देवेन्द्र नगर	..				
8. सिमरिया	..				
9. शाहनगर	..				
<b>12. जिला सागर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू. बोनी कार्य चालू. अल्प वर्षा से 50% तक कहीं-कहीं पर फसल क्षति हुई.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	..		(2) ..		
3. बण्डा	..				
4. सागर	..				
5. रेहली	..				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. कंसली	..				
10. मालथोन	..				
11. शाहगढ़	..				
<b>13. जिला दमोह :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई चालू. रबी की बोनी चालू. खरीफ की कटाई चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	..		4. (1) गन्ना, ज्वार, धान, तुअर, चना, मटर, गेहूँ, जौ, राई-सरसों, तिवड़ा सुधरी.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी.		
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
<b>14. जिला सतना :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है. चना, मसूर, अलसी की राई-सरसों की बोनी चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. रामपुर-बघेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
9. कोठर	..				
10. बिरसिंहपुर	..				
<b>15. जिला रीवा :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्योंथर	..		4. (1) चना, मसूर, अलसी, तुअर अधिक. गेहूँ, जौ, राई-सरसों कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. मऊगंज	..				
4. हनुमना	..				
5. हुजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. मनगवां	..				
8. सेमरिया	..				
9. जवा	..				
10. नईगढ़ी	..				
11. रायपुरकचुलियान	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>16. जिला शहडोल:</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है। बोनी कार्य चालू है। तहसील ब्योहारी जयसिंह नगर में धान, कोंदो-कुटकी तिल आदिवार अल्प वर्षा से 40% क्षति है।	3. . . 4. (1) धान, मक्का, तुअर, उड़द, तिल, अधिक. कोंदो, सोयाबीन समान. (2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुईं।	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
<b>17. जिला अनूपपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है। अलसी की बोनी चालू है। धान व सोयाबीन की कटाई चालू है।	3. . . 4. (1) धान, तुअर, कोंदो-कुटकी, राई, अलसी, मसूर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं।	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
<b>18. जिला उमरिया :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है। रबी फसल की बोनी चालू है।	3. . . 4. (1) उड़द, अरहर, ज्वार, तिल अधिक. धान, मक्का, कोंदो- कुटकी, मूंगमोठ अधिक. (2) धान बिगड़ी हुईं। शेष फसलें समान हैं।	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
<b>19. जिला सीधी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है। बोनी चालू है। अवर्षा से धान की फसल लगभग 33% प्रभावित हुई है।	3. . . 4. (1) अलसी- समान. राई-सरसों, चना, गेहूँ, मसूर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं।	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
<b>20. जिला सिंगरौली :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है। बोनी कार्य चालू है।	3. . . 4. (1) ज्वार, राहर, कोंदो, धान, अलसी, राई, चना कम. (2) धान बिगड़ी हुईं शेष फसलें समान हैं।	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
<b>21. जिला मंदसौर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है। बोनी चालू है।	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना समान. (2) उपरोक्त फसलें कम हैं।	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>22. जिला नीमच :</b>	मिलीमीटर	2 जुताई चालू. बोनी चालू. सोयाबीन में आंशिक क्षति.	3. . . 4.(1) चना अधिक. गेहूँ, राई-सरसों कम. (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावद	..				
2. नीमच	..				
3. सिंगौली	..				
4. जीरन	..				
5. रामपुर	..				
6. मनासा	..				
<b>23. जिला रतलाम :</b>	मिलीमीटर	2 बोनी कार्य चालू है.	3. . . 4.(1) गेहूँ, चना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावरा	..				
2. आलोट	..				
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. ताल	..				
6. रावटी	..				
7. पिपलोदा	..				
8. रतलाम	..				
<b>24. जिला उज्जैन :</b>	मिलीमीटर	2 बोनी कार्य चालू है. खरीफ फसलों का कटाई कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खाचरौद	..				
2. महिदपुर	..				
3. तराना	..				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
<b>25. जिला आगर :</b>	मिलीमीटर	2 रबी में गेहूँ, चना की बोनी चल रही है.	3. . . 4.(1) गेहूँ, चना, राई-सरसों (2) उपरोक्त फसल सामान्य.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़ौद	..				
2. सुसनेर	..				
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
<b>26. जिला शाजापुर :</b>	मिलीमीटर	2 जुताई कार्य चालू. रबी की बोबनी चालू.	3. . . 4.(1) सोयाबीन, मक्का, ज्वार कम. तुअर, उड़द, मूंग अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मोमनबड़ोदिया	..				
2. शाजापुर	..				
3. शुजालपुर	..				
4. कालापीपल	..				
5. पोलाय कलां	..				
6. अबंतीपुर बड़ौदिया	..				
7. गुलाना	..				
<b>27. जिला देवास :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4.(1) ज्वार, मक्का, तुअर, उड़द, मूंग, तिल अधिक. सोयाबीन, मूंगफली कपास कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..				
2. टोंकखुर्द	..				
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नोद	..				
6. हाटपिपल्या	..				
7. सतवास	..				
8. उदयनगर	..				
9. खातेगांव	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>28. जिला झाबुआ :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	..		4. (1) मक्का, धान, उड़द, सोयाबीन, कपास, मूंगफली अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.		
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
5. राणापुर	..				
<b>29. जिला अलीराजपुर :</b>	मिलीमीटर	2. तहसील केवट, चं.शे. आ. नगर व कट्टीबाड़ा में उड़द पर येलोमोजेक का प्रभाव.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोवट	..		4. (1) मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, कपास, उड़द. अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
3. कट्टीबाड़ा	..				
4. सोंडवा	..				
5. भामरा	..				
6. उदयगढ़	..				
7. चन्द्रशेखर आ. नगर	..				
<b>30. जिला धार :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है. गेहूँ चना की बोनी चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	..		4. (1) सोयाबीन, गन्ना अधिक. मक्का, कपास कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. धार	..				
4. कुक्षी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
8. डही	..				
<b>31. जिला इन्दौर :</b>	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी कार्य प्रारम्भ.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	..		(2) . .		
3. इन्दौर	..				
4. हातोद	..				
5. महु	..				
(डॉ. अम्बेडकर नगर)					
<b>32. जिला खरगौन :</b>	मिलीमीटर	2. मौसम खरीफ का कटाई कार्य चालू है. वर्षा में अन्तराल होने से आंशिक प्रभाव है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..		4. (1) कपास अधिक. धान, ज्वार, मक्का, बाजरा, तुअर, मूंगफली कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. सेगांव	..				
4. खरगौन	..				
5. गोगावां	..				
6. कसरावद	..				
7. भगवानपुरा	..				
8. भीकनगांव	..				
9. सनावद	..				
10. झिरन्या	..				
<b>33. जिला बड़वानी :</b>	मिलीमीटर	2. रबी फसल की बोनी कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	..		4. (1) मक्का, गन्ना अधिक. ज्वार, कपास कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. राजकोट (राजपुर)	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. अंजड	..				
8. बरला	..				
9. निवाली	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>34. *जिला खण्डवा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. खण्डवा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. पुनासा	..		(2) ..		
3. खालवा	..				
4. पंधाना	..				
5. हरसूद	..				
<b>35. जिला बुरहानपुर :</b>	मिलीमीटर	2. कपास की चुनाई चालू.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..		4. (1) कपास, तुअर.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	..				
<b>36. *जिला राजगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. राजगढ़	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. जीरापुर	..		(2) ..		
3. खिलचीपुर	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
<b>37. जिला विदिशा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	..		4. (1) धान, ज्वार.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	..		(2) उपरोक्त फसले सुधरी हुई हैं.	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	..				
4. बासोदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. समसाबाद	..				
9. त्योंदा	..				
10. पठारी	..				
11. ग्यारसपुर	..				
<b>38. जिला भोपाल :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..		4. (1) सोयाबीन, धान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बैरागढ़	..		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	चारा पर्याप्त.	
3. हुजूर	..				
<b>39. जिला सीहोर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है. बोनी चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	..		4. (1) धान अधिक. ज्वार, तुअर, गन्ना, गेहूँ, चना, मसूर कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. इच्छावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. रेहटी	..				
6. श्यामपुर	..				
7. जावर	..				
8. बुधनी	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>40. जिला रायसेन :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4 (1) धान, सोयाबीन, तुअर, मक्का	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	. .		उड़द, मूँग, मूँगफली, तिल	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	. .		ज्वार.		
4. गोहरगंज	. .		(2) . .		
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. सुल्तानपुर	. .				
9. उदयपुरा	. .				
<b>41. जिला बैतूल :</b>	मिलीमीटर	2. फसल सोयाबीन मूँगफली,	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैतूल	. .	धान व मक्का खरीफ	4 (1) सोयाबीन, धान कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भैंसदेही	. .	फसल की कटाई कार्य	मक्का अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. घोड़ाडोंगरी	. .	चालू है.	(2) सोयाबीन, धान सुधरी हुई.		
4. शाहपुर	. .		मक्का सुधरी हुई.		
5. चिचौली	. .				
6. मुलताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
<b>42. जिला होशंगाबाद :</b>	मिलीमीटर	2. धान कटाई चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. होशंगाबाद	. .		4 (1) धान अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिवनी मालवा	. .		सोयाबीन, तुअर कम.	चारा पर्याप्त.	
3. बावई	. .		(2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई हैं		
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. बनखेड़ी	. .				
8. डोलरिया	. .				
9. पचमढी	. .				
<b>43. जिला हरदा :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4 (1) उड़द, मूँग अधिक है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		धान, मक्का, तुअर, सोयाबीन	चारा पर्याप्त.	
3. सिराली	. .		कम है.		
4. रेहटगांव	. .		(2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई हैं		
5. हॉडिया	. .				
6. टिमरनी	. .				
<b>44. जिला जबलपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जबलपुर	. .	बोनी कार्य चालू है.	4 (1) मूँग, उड़द अधिक. धान,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कुण्डम	. .		मक्का, तुअर, सोयाबीन कम.	चारा पर्याप्त.	
3. सीहोरा	. .		(2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई हैं.		
4. पाटन	. .				
5. मझौली	. .				
6. शाहपुरा	. .				
7. पनागर	. .				
<b>45. जिला कटनी :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बहोरीबंद	. .		4 (1) धान, मक्का, तुअर, उड़द,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ढीमरखेड़ा	. .		तिल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. रीठी	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
4. बड़वारा	. .				
5. मुड़वारा (कटनी) मु.	. .				
6. विजयराघवगढ़	. .				
7. बरही	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>46. जिला नरसिंहपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है. बोनी चालू है.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. नरसिंहपुर 2. गोटेगांव 3. करेली 4. गाडरवारा 5. तेंदूखेड़ा	. . . . . . . . . .				
<b>47. जिला मण्डला :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य प्रारम्भ.	3. . . 4. (1) धान, कोंदो-कुटकी, मक्का, सोयाबीन, तिल, रामतिल, समान. (2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुईं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मण्डला 2. नैनपुर 3. बिछिया 4. निवास 5. नारायणगंज 6. घुघरी	. . . . 3.3 . . . . . .				
<b>48. जिला डिण्डोरी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है. गेहूँ, चना, अलसी, मटर, मसूर की बोनी चालू है.	3. . . 4. (1) धान, कोंदो कुटकी, तुअर, रामतिल समान. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी 2. शाहपुरा 3. बजाग	. . . . . .				
<b>49. जिला छिंदवाड़ा :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य प्रारम्भ.	3. . . 4. (1) मक्का अधिक. सोयाबीन कम. धान, मूंगफली समान. (2) मक्का, धान सामान्य. शेष फसलें बिगड़ी हुईं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा 2. तामिया 3. परासिया 4. जामई 5. सोंसर 6. बिछुआ 7. अमरवाड़ा 8. चौरई 9. उमरेठ 10. मोहखेड 11. हरई 12. चांद 13. पांडुर्णा	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .				
<b>50. जिला सिवनी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू फसल की कटाई चालू है.	3. . . 4. (1) ज्वार, उड़द, सोयाबीन, गन्ना अधिक. धान, मक्का, कोंदो- कुटकी, तुअर, मूंग, तिल, रामतिल कम हैं. गन्ना अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी 2. बरघाट 3. कुरई 4. कवलारी 5. लखनादोन 6. छपारा 7. घनोरा 8. घंसोर	. . . . . . . . . . . . . . . .				
<b>51. जिला बालाघाट :</b>	मिलीमीटर	2. धान की कटाई चालू है.	3. . . 4. (1) धान समान है. (2) धान समान है.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट 2. लाँजी 3. किरनापुर 4. बैहर 5. वारासिवनी 6. कटंगी 7. लालबर्रा 8. तिरोडी 9. परसवाड़ा 10. बिरसा 11. खैरलाँजी	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .				

टीप :- \*जिला खण्डवा, राजगढ़ से पत्रक अप्राप्त हैं.

आर. पी. भारती,  
संयुक्त आयुक्त,  
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.